

Baruraj-115/18 Gr.-1610/18

30-05-19

अभिलेख संज्ञान के आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। संज्ञान के बिंदु पर विद्वान सहायक लोक अभियोजक को सुना।

अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-147, 149, 341, 323, 324, 504, 506 भा० द० वि० के अंतर्गत आरोपपत्र समर्पित किया गया।

आरोपपत्र एवं मूल केस दैनिकी के अवलोकन से अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत है।

मूल केस दैनिकी के कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तों (1) मो० एकबाल उर्फ प्रिंस (2) मसकुर अहमद (3) शमशाद अहमद (4) अयाज अहमद (5) फैयाज़ अहमद (6) सेराज अहमद (7) साह फैसल (8) मो० अलतमस के विरुद्ध धारा-147, 149, 341, 323, 324, 504, 506 भा० द० वि० के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद को अग्रिम कार्रवाई हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।

दिनांक 29-08-19 वास्ते अभियुक्तों के उपस्थिति हेतु । कार्यालय अभियुक्तों पर सम्मन निर्गत करें।

लेखापित

न्या० दण्डा० प्रथम श्रेणी
मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)

